

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्ति, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 1150 / 12-1 (1) दिनांक, देहरादून, अक्टूबर , 28, 2015
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,

इन्दिरनगर, वन विभाग कॉलोनी, देहरादून ।
जनपद देहरादून के अन्तर्गत ग्राम-प्लान से ग्राम-बिहार तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 5.275 किमी) हेतु अपेक्षित वन भूमि 2.271 है 0 वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव |
प्रस्ताव संख्या FP / UK / ROAD/ 11435 / 2015
संदर्भ:
संहादय,

विषय:
जनपद देहरादून के अन्तर्गत ग्राम-प्लान से ग्राम-बिहार तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 5.275 किमी) हेतु अपेक्षित वन भूमि 2.271 है 0 वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव |
प्रस्ताव संख्या FP / UK / ROAD/ 11435 / 2015

प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता ने अपने कार्यालय पत्रांक 1029 / 12-1 (लम्बाई 5.275 किमी) का निर्माण हेतु अपेक्षित 2.271 है 0 वन भूमि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया को हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित गया किया है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग में वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रभाग / रेंज का नाम	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई चौड़ाई मीटर	क्षेत्रफल हेक्टर	कुल बाधित वक्षों की संख्या	बाधित बांज के वक्ष जो कालम 5 में सम्मिलित हैं, की संख्या
1 चकराता प्रभाग / रेंज	2 वन सिविल वन भूमि ग्राम मौजा बिहार	3 490 X 7	4 0.343	5 06	6 बांज वृक्ष नहीं हैं
	पंचायत भूमि मौजा बिहार	3 2755 X 7	4 1.928	5 316	बांज वृक्ष नहीं हैं
	योग वन भूमि	4 3245		6 322	रिक्त
2 चकराता प्रभाग / रेंज	वन नाप भूमि- ग्राम बिहार कुल योग	5 2030 X 7 5275 मी०	4 1.421 592	5 270 0	5 रिक्त

प्रस्तावित मार्ग में वन भूमि में 322 वृक्ष बाधित हैं तथा नाप भूमि में 270 वृक्ष बाधित सूचित हैं। जिलाधिकारी, देहरादून के द्वारा वांछित वन भूमि में ग्रेवानिकी कार्य हेतु संस्तुति की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता की संस्तुति के पश्चात इस स्तर से निर्धारित संलग्न प्रपत्र- III में संस्तुति सहित प्रस्ताव औन लाइन प्रेषित किया जा रहा है। उक्त की हार्द प्रति अलग से भी प्रेषित की जा रही है।
संलग्नक-यथोपरि ।

मवदीय,


(आरओकॉमिश्नर)

वन संरक्षक
यमुना वर्ष उत्तराखण्ड, देहरादून ।

संख्या 1150 (1) / 12-1 (1) उक्त दिनांकित ।
प्रतिलिपि प्रभागीय चकराता वन प्रभाग, चकराता को उनके पत्रांक 1029 / 12-1 दिनांक 30-9-2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, अस्थाई लोक निर्माण विभाग, सहिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


(आरओकॉमिश्नर)
वन संरक्षक
यमुना वर्ष उत्तराखण्ड तेहरान ।

भाग-III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम— जनपद दहरादून के अन्तर्गत ग्राम-प्लान से ग्राम-विहार तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 5.275 किमी) हेतु अपेक्षित वन भूमि 2.271 है 0 वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गेर वानिकी कार्य की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव ।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ / नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तरीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी, नहीं ।
क्रमांक 15	कथा संबंधित वन संरक्षक भाग छ में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत है ।	सहमत है ।
क्रमांक 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्कृति की जाती है।

दिनांक - २८ अक्टूबर , 2015
स्थान — देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम — (आरक्षुमिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत, उत्तराखण्ड, देहरादून ।